जिला ग्रामीण विकास शाखा, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाऐं प्राप्त करने हेतु–

–: आम सूचना :–

विज्ञापन सूचना संख्या–02/2025

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–4729 दिनांक–04.06.2007, ज्ञापांक–6440 दिनांक–17.07.2012, नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012, ज्ञापांक–848 दिनांक–21.03.2017 नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2017 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–2020, दिनांक– 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक–1617, दिनांक–17.03.2023 एवं संकल्प संख्या ज्ञापांक–3198 दिनांक–18.04.2016 में निहित स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)–2005 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु **प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक** के रिक्त पदों पर सीधी (प्रत्यक्ष) पूर्णतया संविदा के आधारित नियुक्ति (मेधा सूची तैयार करने हेतु) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०सं०	आवेदित पद का नाम	कोटि				कुल
		अनारक्षित	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	आ०क०वर्ग	
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	00	00	00	01	01
02	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	02	01	01	00	04
03	लेखा सहायक	00	01	00	01	02
04	कम्प्यूटर सहायक	01	02	00	01	04
05	ग्राम रोजगार सेवक	14	06	01	02	23

नोटः– I. आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकता है।
II. नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी।

1. आवेदक के द्वारा **दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 08.07.2025 के अपराहन् 05:00 बजे** तक वेबसाईट **http://applyrdd.jharkhand.gov.in** पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
2. आवेदन हेतु रिक्त पदों के लिए वांछित योग्यता सहित अन्य विस्तृत जानकारी पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला के वेबसाईट **www.chaibasa.nic.in** पर तथा उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 एवं पत्रांक–156 दिनांक–06.01.2017 द्वारा तत्समय प्रवृत निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ख) निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

3. शैक्षणिक योग्यता :–

पद का नाम	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	**1. अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा। **2. अतिरिक्त योग्यता :–** a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडे जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स से पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।
तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	**1. अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। **2. अतिरिक्त योग्यता :–** a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/बी0ई0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी। b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जाऐंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को सामान्य योग्यता समझा जाएगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 कोटि में जोड़े जाऐंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा।

लेखा सहायक	1. **अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण जिन्हे 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम किया तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। 2. **अतिरिक्त योग्यता :–** a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0 कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी। b) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 के कोटि में जोड़े जायेगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0की कोटि में रखा जायेगा।
कम्प्यूटर सहायक	1. **अनिवार्य योग्यता :–** a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें :– ➢ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स, ➢ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य, ➢ बी0सी0ए0, ➢ सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि अंकित किया जायेगा। 2. **अतिरिक्त योग्यता :–** a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। b) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 / सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चत् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

4

ग्राम रोजगार सेवक	1. **अनिवार्य योग्यता :–** सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई०टी०आई०(ITI), मैट्रिक के पश्चात् आई०टी०आई०(ITI) की स्थिति में आई०टी०आई०(ITI) के प्राप्तांक को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा। 2. **अतिरिक्त योग्यता :–** a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी। b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जाएगा। पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० को स्नातककोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। 3. अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडियट, स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर योग्यताओं में कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

<u>नोट</u> :– अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DBE से मान्यता संबंधित कागजात/मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी।

4. उपरोक्त सभी पदों में वर्णित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ ही मान्य होगी।

5. **आयु सीमा दिनांक 01.01.2025** तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम (विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा, भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निधारित की जायेगी) निम्नवत् है :–

क्र०	वर्ग	वर्ष	दिव्यांग जनों के लिए
01	अनारक्षित वर्ग	35 वर्ष	45 वर्ष
02	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
03	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष
04	महिला–अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	38 वर्ष	48 वर्ष

(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक–29 दिनांक–04.01.2021 के अनुसार)

6. राष्ट्रीयता–आवेदक भारत का नागरिक हो।

7. परिलब्धि :– विभागीय पत्रांक 1028(N) ग्रा०वि०, राँची दिनांक 04.08.2022 के आलोक में विभिन्न पदों की परिलब्धि निम्नवत् होगी –

क0	पदनाम	मासिक मानदेय
01	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	₹ 23,140.00
02	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	₹ 19,000.00
03	लेखा सहायक	₹ 14,300.00
04	कम्प्यूटर सहायक	₹ 14,300.00
05	ग्राम रोजगार सेवक	₹ 11,000.00

8. **नियुक्ति की नियम एवं शर्तें :–**

(क) उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखिल एवं दक्षता परीक्षा ली जा सकती है। जिला चयन समिति पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा मेधा सूची को अनुमोदित किया जाएगा।

(ग) तैयार प्रारंभिक मेधा सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर आवेदक त्रुटि निराकरण हेतु जिला ग्रामीण विकास शाखा कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा में उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदनाम से आवेदन दे सकते हैं। तत्पश्चात् अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इसके उपरान्त किसी आवेदक का त्रुटि हेतु आवेदन/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियोक्ता द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नही होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

(च) उपर्युक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन पश्चिमी सिंहभूम जिला के किसी भी प्रखण्ड/पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(छ) उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ–पत्र अर्पित करना अनिवार्य होगा – (1) झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवदेन नहीं किया गया है। (2) संलग्न किए सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताऐं से संबंधित प्रमाण–पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत है। उनके द्वारा अर्पित शपथ–पत्र/कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसके लिए उसके विरूद्व उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

(ज) योगदान करने के साथ ही यह समझा जाएगा कि आप मनरेगा योजना अन्तर्गत संविदा आधारित पदों की नियुक्ति नियमावली में दिए गए शर्त्तों एवं भविष्य में सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहमत है।

9. **सामान्य निर्देश :–**

(क) आरक्षित कोटि :– आ०क०वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Grade अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) अहर्त्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा।

(घ) विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करना का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा।

आवेदन कैसे जमा करें :–

(क) आवेदक के द्वारा दिनांक 23.06.2025 से दिनांक 08.07.2025 के अपराहन् 05:00 बजे तक वेबसाईट http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

a. स्वहस्ताक्षरित फोटो।
b. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र।
c. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र।
d. आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
e. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।
f. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
g. शपथ पत्र।

(ख) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरणी ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।

(ग) एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदो के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए उन्हें पदवार अलग–अलग आवेदन ऑनलाईन करना अनिवार्य होगा।

(घ) निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(ड) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा।

Chandan 16/06/25

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।